



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: प्लेक्स/सर्किट/134

दिनांक: 06 मई 2026

को

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

महोदय/महोदया,

विषय: अप्रत्याशित घटना खंड (एफएमसी) के संबंध में

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग, खरीद नीति प्रभाग) ने **माल खरीद नियमावली द्वितीय संस्करण 2024** के अनुच्छेद 9.3.6, परामर्श सेवाओं की खरीद नियमावली द्वितीय संस्करण 2025 के अनुच्छेद 10.4.9, गैर-परामर्श सेवाओं की खरीद नियमावली 2025 के अनुच्छेद 9.4.10 और कार्यों की खरीद नियमावली द्वितीय संस्करण 2025 के अनुच्छेद 7.4.4 में उल्लिखित अप्रत्याशित घटना खंड (एफएम) के संबंध में कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1/3/2026-पीपीडी दिनांक 29.04.2026 जारी किया है, जिसे विभाग द्वारा जारी किया गया है और जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

* अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर - एफएम) का अर्थ है मानव नियंत्रण से परे असाधारण घटनाएँ या परिस्थितियाँ, जैसे कि ईश्वरीय घटना (जैसे प्राकृतिक आपदा) या युद्ध, हड़ताल, दंगे, अपराध जैसी घटनाएँ (लेकिन इसमें लापरवाही या गलत काम, पूर्वानुमानित/मौसमी बारिश और खंड में विशेष रूप से बहिष्कृत कोई अन्य घटनाएँ शामिल नहीं हैं)।

* अनुबंध में FM खंड दोनों पक्षों को संविदात्मक दायित्व और बाध्यता से मुक्त करता है, जब ऐसी घटनाओं के कारण वे अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं।

* एफएम क्लॉज किसी पक्ष द्वारा गैर-निष्पादन को पूरी तरह से माफ नहीं करता है, बल्कि एफएम की अवधि के लिए इसे केवल निलंबित करता है।

* फर्म को परिस्थितियों के अनुसार उचित समय के भीतर (उदाहरण के लिए, घटना घटित होने के 14 दिनों से अधिक नहीं) वित्तीय संकट की सूचना देनी होगी, और इस पर पूर्वव्यापी दावा नहीं किया जा सकता है।

जैसा कि ओएम में उल्लेख किया गया है, ऐसी वित्तीय संकट की स्थिति हो सकती है जो केवल खरीद संगठन को प्रभावित करे। ऐसी स्थिति में, खरीद संगठन को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आपूर्तिकर्ता से उपरोक्त तरीके से संपर्क करना होगा। यदि इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी दायित्व का पूर्ण या आंशिक निष्पादन वित्तीय संकट के कारण 90 (नब्बे) दिनों से अधिक समय तक बाधित या विलंबित होता है, तो दोनों में से कोई भी पक्ष, अपनी इच्छानुसार, बिना किसी वित्तीय दंड के अनुबंध को समाप्त करने का अनुरोध कर सकता है।

आधिकारिक ज्ञापन के लिए, कृपया यहां क्लिक करें: https://membership.plasticsec.org/mails_images/20260505032_415.pdf

संबंधित सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने दायित्वों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और जहां लागू हो, उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार एफएम खंड का उपयोग करें।

निम्नलिखित मैनुअल की जानकारी डाउनलोड के लिए उपलब्ध है:

माल की खरीद के लिए नियमावली, 2024

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202605061205_19.pdf

परामर्श सेवाओं की खरीद के लिए नियमावली, 2025

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202605061156_06.pdf

गैर-परामर्श सेवाओं की खरीद के लिए नियमावली, 2025:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202605061156_32.pdf

निर्माण कार्यों की खरीद के लिए नियमावली, 2025:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202605061156_56.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सन्नेह,

प्लेक्सकॉन्सिल टीम